झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–70 वर्ष 2017

कल्लु राम राउत, मीना हलखोरिन के पति और स्वर्गीय राम जीवन राम के पुत्र, निवास स्थान–धनुडीह, हरिजन बस्ती, डाकघर–झरिया, थाना–तिसरा, जिला–धनबाद।

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, जिसका कार्यालय लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।

2. प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका कार्यालय लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।

3. सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका कार्यालय लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।

4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सोमेश्वर रॉय, एडवोकेट

उत्तरदातागण–एम0ए0डी0ए0 के लिए :–श्री भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्ता

02 / 09.01.2017 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. ‘ याचिकाकर्त्ता की पत्नी, जो सफाईकर्मी, बैच नं0 51, झरिया, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के पद पर कार्यरत थी और 30.06.2015 को सेवानिवृत हो गई थी। सेवानिवृति के बाद, याचिकाकर्त्ता की पत्नी की मृत्यु 27.11.2015 को हो गई। याचिकाकर्त्ता की शिकायत यह है कि मृत्यु–सह–सेवानिवृत बकाया जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण, समूह बीमा, मंहगाई भत्ता, 6ठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ और ए0सी0पी0 के लाभ आदि का भुगतान अभी तक याचिकाकर्त्ता को नहीं किया गया है, हालांकि उसने एम0ए0डी0ए0 के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन अनुलग्नक–4 एवं 5 के द्वारा किया है।

3. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर कोई कारर्वाई नहीं हुई, इसलिए याचिकाकर्त्ता ने विवश होकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्त्ता को सक्षम प्राधिकारी यानी प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याचिकाकर्त्ता की शिकायतों का निवारण कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्त्ता की पत्नी की कुछ मृत्यु–सह–सेवानिवृत बकाया और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधिपत है, इसलिए याचिकाकर्त्ता को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के

साथ प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष नया अभ्यावेदन करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेंगे और याचिकाकर्त्ता की पत्नी के रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बाद, 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेंगे, जिसको याचिकाकर्त्ता को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्त्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और मृत्यु–सह–सेवानिवृत देय राशि और अन्य सेवा लाभों के कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया के हकदार हैं, तो इसको उत्तरदाताओं–एम0ए0डी0ए0 के द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ भी वितरित किया जाएगा जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत कर्मचारियों पर लागू होता है।

तद्नुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)